न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/87/2023	2023/488	18.09.2023	11.12.2024

1. कलावती पुत्री श्री भूदरराम पत्नी श्री रामसहाय रौनी जाति माली निवासी वार्ड नं0 03, पानी की टंकी के पास, हरसौली रोड, खैरथल जिला थैरथल तिजारा राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सतीश पुत्र श्री बाबूलाल पौत्र भूदरराम जाति सैनी,
2. राहुल पुत्र श्री बाबूलाल पौत्र भूदरराम जाति सैनी,
3. अरूण पुत्र श्री बाबूलाल पौत्र भूदरराम जाति सैनी,
4. सुशीला पुत्री श्री बाबूलाल पौत्री भूदरराम जाति सैनी,
5. प्रेम पुत्री श्री बाबूलाल पौत्री भूदरराम जाति सैनी,
6. उमा पुत्री श्री बाबूलाल पौत्री भूदरराम जाति सैनी,
7. सन्तरा पुत्री श्री बाबूलाल पौत्री भूदरराम जाति सैनी,
8. चन्दा पुत्री श्री बाबूलाल पौत्री भूदरराम जाति सैनी,
9. नारायणी पत्नी श्री बाबूलाल पुत्रवधू भूदरराम जाति सैनी (मृतक)
10. राधे लाल पुत्र श्री भूदरराम जाति सैनी,
    निवासीयान बीज गोदाम के पास, नया बास, तह0 व जिला अलवर राज0।
11. तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 299 दिनांक 26.05.1981 ग्राम भूगोर, जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट
02—श्री संजीव जैन —वकील रेस्पो0

—निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 299 दिनांक 26.05.1981 ग्राम भूगोर, जिला अलवर तहसीलदार अलवर द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ला० 10 जो एक ही परिवार के सदस्य है एवं मृतक भूदरराम पुत्र श्री ख्यालीराम के जायज व कानूनी वारिसान है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ला.10 का पारिवारिक सजरा इस प्रकार हैः—

भूदरराम — मृतक

कलावती	बाबूलाल — मृतक	राधेलाल

सतीश,	राहुल,	अरूण,	सुशीला,	प्रेम,	उमा,	सन्तरा,	चन्दा,	नारायणी

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

साबिक आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 598 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 599 रकबा 0.15 हेक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 863 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 600 रकबा 0.35 हेक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 881 मिन रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 596 रकबा 0.10 हेक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 864 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 801 रकबा 0.34 हेक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 1 बीधा जिसके हाल खसरा नम्बर 802 रकबा 0.25 हेक्टेयर वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो हाल खसारा नम्बरान दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2051–2070 मे कायम किये गये है। साबिक खसारा नम्बर 862 व 863 कुल किता 2 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा मे मृतक भूदरराम का 1/2 हिस्सा एवं साबिक खसारा नम्बर 864 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा, 865 रकबा 1 बीधा व 861 मिन रकबा 08 बिस्वा में मृतक भूदरराम का 1/4 हिस्सा था। मिन अपीलाण्ट के पिता मृतक भूदरराम की मृत्यु दिनांक 10.05.1977 को हो गई थी और मृतक भूदरराम की हिस्से की आराजी का कानूनी रूप से उनके कानूनी व जायज वारिसान उनके दो पुत्र बाबूलाल व राधेलाल एवं उनकी उनकी पत्नि व पुत्री कलावती अपीलाण्ट के बहिस्से बराबर इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था लेकिन मृतक भूदरराम के पुत्र बाबूलाल व राधेलाल द्वारा हल्का पटवारी से साज बाज एवं मिलीभगत करते हुये मृतक भूदरराम के स्वयं के जायज वारिसान बताते हुये अपने स्वयं को लाभ पहुंचाने की नियत से बाला बाला तरीके से अपने नाम इन्तकाल संख्या 299 दिनांक 26.05.1981 स्वीकार कर लिया गया। मृतक भूदरराम की पत्नि का स्वर्गवास तहत अदालत के इन्तकाल के आदेश के बाद हो चुकी है जिसके जायज व काबिज वारिसान उसके पुत्र बाबूलाल व राधेलाल व उनकी पुत्री कलावती थे जिसमे बाबूलाल की मृत्यु हो चुकी है जो रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ला० 8 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पति था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला० 9 ने बाला बाला तरीके से साज बाज होकर मृतक बाबूलाल का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने की जुस्तजु में है। तहत अदालत के द्वारा मृतक भूदरराम के वारिसान की जॉच कर उसके काबिज व जायज वारिसान के नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था लेकिन तहत अदालत द्वारा बेजा तौर से असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला० 09 के पिता व पति बाबूलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को लाभ पहुंचाने की नियत से विधिक वारिसान की बिना जॉच पडताल किये ही इन्तकाल संख्या 299 वाके ग्राम भूगोर दिनांक 26.05.1981 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 व 8 की अनुसूचि प्रथम मे दिये गये वारिसान व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार मृतक भूदरराम के जायज व काबिज वारिसान लडके व लडकी व पत्नि के नाम इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहिये था इस प्रकार तहत अदालत का आलौच्य इन्तकाल आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। मृतक भूदरराम पुत्र ख्यालीराम के दो पुत्र बाबूलाल व राधेलाल व उनकी पुत्री कलावती है तथा श्कानूनी रूप से मृतक भूदरराम व उनकी पत्नि की मृत्यु होने पर उसके पुत्र राधेलाल व बाबूलाल व पुत्री कलावती का 1/3, 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज व काश्तकार है इसलिये तहत अदालत का इन्तकाल आदेश इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीालण्ट को तहत अदालत के आलौच्य इन्तकाल आदेश की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी तथा मिन अपीलाण्ट दिनांक 25.07.2023 को अपीलाधीन आराजी पर अपने हिस्से की देखभाल करने के लिये गई तो रेस्पोडेन्टान द्वारा मिन अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की और मिन अपीलाण्ट से कहा कि अपीलाधीन आराजी हमारे नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है इसलिये तुम्हारा इस आराजी से कोई वास्ता व लेना देना नही है जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलाण्ट द्वारा इन्तकाल आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जिसकी नकल दिनांक 27.07.2023 को प्राप्त हुई एवं नकल प्राप्त करने पर मिन अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा प्राप्त किया गया तो वकील साहब द्वारा तहत अदालत के आलौच्य आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा रूपयो पैसो का इंतजाम किया जिस पर यह अपील पेश है। यधपि तहत अदालत का आलौच्य इन्तकाल आदेश जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खिलाफ पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है जिस आदेश से रेस्पो० को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है जो आदेश विधि विरूद्ध हो उस पर मियाद अधिनियम लागू नही होते है फिर भी अब तकनीकी खामीयो से बचने के लिये अलग से दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय हलफनामा पेश है। तहत अदालत के इन्तकाल आदेश पारित होने से मिन अपीलाण्ट के हक व हकूक जायल होते है क्योकि मिन अपीलाण्ट मृतक भूदरराम की कानूनी व जायज पुत्री है एवं मृतक भूदरराम की आराजी पर मिन अपीलाण्ट का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। मिन अपीलाण्ट जो मृतक

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूदरराम की कानूनी व जायज वारिसान है एवं मिन अपीलाण्ट को मृतक भूदरराम की इन्तकालधीन हिस्से की आराजी में 1/3 हिस्सा है लेकिन मृतक भूदरराम की विरासत बाला बाला तरीके से उसके पुत्र बाबूलाल व राधेलाल के नाम बहिस्से बराबर दर्ज कर दी गई इस प्रकार अपीलाण्ट उसके खातेदारी के हिस्से की आराजी से वंचित किया गया है इसलिये मिन अपीलाण्ट जो अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहती है तहत अदालत के आलौच्य आदेश पारित होने से मिन अपीलाण्ट के हक व हकूक जायल होते है इसलिये मिन अपीलाण्ट को अपील करने का कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है इसलिये मिन अपीलाण्ट को अपील पेश करने हेतु इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है जिस बाबत दफा 96 जा.दी. प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील मिन अपीलाण्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार, अलवर जिला अलवर का इन्तकाल संख्या 299 वाके ग्राम भूगोर आदेश दिनांक 26.05.1981 को अपास्त करके इन्तकालाधीन आराजी में मृतक भूदरराम के हिस्से में उसके वारिसान बहिस्से बराबर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जाने की कृपा करे।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 01 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन, मनगढंत काल्पनिक अंकित किये जाने के कारण अस्वीकार हैं, बल्कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त समस्त अभिवचन के आधार पर मौके व रिकार्ड के विपरीत अंकित करते हुये अपील मियाद बाहर, बेजा रूप से प्रस्तुत की गयी है। यहाँ न्यायहित में यह कभी कहना समीचीन है कि आलौच्य इंतकाल आदेश तत्समय की स्थिति व प्रभावी अधिनियम के तहत विधि अनुसार गुण अवगुण के आधार पर सभी की सहमति से पारित किया गया था। जिस नामान्तरण दिनांक 26.05.1981 की जानकारी अपीलाण्ट को बखूबी रही हैं। जिस कारण अपीलाण्ट को यह अधिकार नही मिल जाता है कि वह किसी भी आदेश को बेईमाई व दुर्भावना आ जाने से कभी भी किसी भी तथ्य के आधार पर 40 वर्ष पश्चात चुनौती देवें। यदि अपीलाण्ट भूदरराम की जायज वारिस है तो ऐसी स्थिति में अपने अधिकार की बाबत सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद दायर कर अपने विधिक अधिकार गुण अवगुण के आधार पर निर्णित कराने चाहिये तथा नामांतरण की कार्यवाही में अपीलाण्ट के किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाण्ट को इंतकाल संख्या 299 की बखूबी जानकारी दिनांक 26.05.1981 से ही रही हैं तथा अपीलाण्ट द्वारा अपील 42 वर्ष पश्चात बिना किसी हित, स्वामित्व व अधिकार तथा बिना किसी न्यायोचित व युक्ति युक्त कारण प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील के समर्थन में भी किसी प्रकार की कोई प्रमाणिक प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इंतकाल में वर्णित पृविष्टियां, रकबा, खातेदारी अधिकार विगत 40 वर्षो में कई परिवर्तित हो चुके हैं तथा आराजी मुतनाजा भी कई मर्तबा विक्रय भी हो चुकी हैं। प्रश्नगत इंतकाल तस्दीक होने के पश्चात ही इंतकाल में वर्णित आराजी मुतनाजा का स्वामित्व व भौतिक कब्जा व वस्तुस्थिति में कई बार रद्दोबदल/परिवर्तन हो चुका हैं तथा अपीलाण्ट द्वारा महज अपील आराजी मुतनाजा की दरों में वृद्धि होने के कारण व निजी स्वार्थ व लाभवश वर्तमान खातेदार काश्तकारों का सदोष हानि व अपने आप को सदोष पहुँचाने की मंशा से व आराजी मुतनाजा को मुकदमेबाजी लिप्त करने की नियत से पेश की गई हैं। जबकि वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069—2074 खाता संख्या 266 खसरा नम्बर 598 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.35 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार प्रतीमा पत्नि अनिल, बाबूलाल, राधेश्याम पुत्रान भूदरराम, सुभाष खण्डेवाल पुत्र हरिनारायण हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहें हैं। इंतकाल की अपील फिसकल कार्यवाहियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार व हिस्सों का सृजन किया जाना संभव नहीं हैं। यदि अपीलाण्ट के इंतकाल में वर्णित आराजी मुतनाजा की बाबत किसी प्रकार के स्वामित्व व अधिकार निहित है तो उसे सक्षम न्यायालय में दीवानी वाद व राजस्व वाद की बाबत न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहियें। किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा ना कर मात्र सरसरी व संक्षिप्त कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से आधारहीन, मिथ्या कथनों के आधार पर इंतकाल तस्दीक तिथि के 42 वर्ष पश्चात अपील दायर कर दी गई हैं। प्रश्नगत आराजी की बाबत सक्षम दीवानी व राजस्व न्यायालयों से भी पूर्व में न्यायिक कार्यवाहियां निर्णित की जा चुकी हैं। जिनकी भी बखूबी जानकारी अपीलाण्ट को रही हैं। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य, काल्पनिक, बेबुनियाद, डालें मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के कारण अस्वीकार है। बल्कि सत्य कथन यह है कि अपीलाण्टान को इंतकाल संख्या 299 की बखूबी जानकारी दिनांक 26.05.1981 से ही रही है तथा अपीलाण्टान द्वारा उक्त चरण में इंतकाल की जानकारी दिनांक 25.07.2023 के अभिवचन आधारहीन, मिथ्या, काल्पनिक अंकित

अ... जिला कलक्टर प्रथम, अलवर (राज0)

किये गये हैं तथा उक्त कथनों की पुष्टि हेतु व समर्थन में किसी प्रकार का कोई प्रमाणिक आधार व दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया हैं तथा अपीलाण्टान द्वारा अपील 42 वर्ष पश्चात मियाद बाहर प्रस्तुत करने के समर्थन में कोई ना तो न्यायोचित व युक्ति युक्त कारण अंकित नहीं किया गया हैं तथा अपील के समर्थन में भी किसी प्रकार की कोई प्रमाणिक प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलाण्टान द्वारा प्रश्नगत इंतकाल की अपील 42 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त व समुचित कारण अंकित नही किया गया हैं तथा अपीलाण्ट को 26.05.1981 से सितम्बर 2023 में देरी से अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रत्येक दिन माह–सन् की बाबत युक्ति–युक्त व न्यायोचित आधार अंकित करना चाहिये। किन्तु अपीलाण्टान द्वारा ऐसा नही कर अपील बाला–बाला में ही आधारहीन, मिथ्या कथनों के आधार पर पेश कर दी गई। जिस कारण अपील प्रथम दृष्टया ही मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वर्तमान में आराजी मुतनाजा पर रेस्पोडेन्टान का स्वामित्व व भौतिक कब्जा अर्से दराज से चला आ रहा हैं। जिसकी बखूबी जानकारी अपीलाण्ट व समस्त ग्रामवासियान तथा उभयपक्षकारान को प्रारम्भ से ही रही हैं। जिस कारण भी अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलाण्ट प्रथम स्तर पर ही खारिज फरमाई जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपील अपीलाण्ट्स मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.1981 के विरूद्व दिनांक 14.09.2012 को पेश की गयी है जो करीब 42 वर्ष 03 माह 19 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर (भू.अ.) द्वारा नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 26.05.1981 वाके ग्राम भूगोर, अलवर मृतक भूदरराम जिसके वारिसों में दो पुत्र बाबूलाल व राधेश्याम, को बराबर रूप से 1/2 भाग दर्ज व स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि मृतक भूदरराम जो कि अपीलाण्ट के पिता हैं तथा अपीलाण्ट भी बाबूलाल व राधेलाल के साथ–साथ भूदरराम की कानूनी वारिस है, इसलिए तहसीलदार अलवर को इन्तकाल की कार्यवाही भूदरराम के सभी वारिसानों को समान भाग दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही के दौरान वारिसानों की सही जांच नहीं की गयी, जो कि विधिक त्रुटि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार प्राप्त हैं। अपीलाण्ट (मृतक) भूदरराम की जायज वारिस होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 26.05.1981 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेशित किया जाता है कि वारिसानों की सही जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)